कार्यालय जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

रेलवे अस्पताल के सामने, रातानाडा, जोधपुर – 342001

email-jdanic-jod-rj@nic.in वेब–साईट jodhpurjda.org Phone No. 0291-2612086/265635-7 Fax 021-2612086

क्रमांक /बैठक/2023/2029 दिनांकः– 17 फरवरी 2023

बैठक कार्यवाही विवरण

प्राधिकरण की भूमि एंव सम्पति निस्तारण समिति बैठक श्री नवनीत कुमार, आयुक्त, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर एंव अध्यक्ष, भूमि एंव सम्पति निस्तारण समिति की अध्यक्षता में दिनांक 16 फरवरी 2023 सांय 04:00 बजे अयोजित की गई। बैठक में उपस्थित सदस्य /अधिकारीयों का विवरण परिशिष्ट –1 पर उपलब्ध है।

प्रस्ताव संख्या 1 :: सुशांत लोक कॉलोनी में जी.एस.एस. हेतु आरक्षित भूमि में से 33/11 के. वी. सब स्टेशन प्रयोजनार्थ 1195 वर्गमीटर भूमि आवंटन के संबंध में।

सहायक अभियंता (बी–षष्टम) जोविविनिलि, जोधपुर द्वारा आवंटन नीति–2015 के प्रावधानों के अनुरूप 'प्रपत्र–स' में आवेदन पेश कर सुशांत लोक कॉलोनी में जी.एस.एस. प्रयोजनार्थ आरक्षित भूमि में से 33/11 के.वी. सब स्टेशन प्रयोजनार्थ 1195 वर्गमीटर भूमि आवंटन की मांग की गई है।

प्राधिकरण की जोन राजस्व टीम के सुयंक्त मौका निरीक्षण अनुसार प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित सुशान्त लोक योजना के मानचित्र में जी.एस.एस. हेतु 1195 वर्गमीटर भूमि आरक्षित दर्शाई गई है जो मौके पर रिक्त पाई गई। .

आयोजना शाखा की रिपोर्ट अनुसार उक्त भूमि का भू–उपयोग मास्टर डवलपमेन्ट प्लान–2031 में मिश्रित भू–उपयोग प्रयोजनार्थ आरक्षित है। मास्टर प्लान की डीसीआर अनुसार गर्वमेन्ट/पब्लिक यूटिलिटिज समस्त सड़कों पर सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन उपरांत अनुज्ञेय की गई है।

विधि शाखा के उच्च/अधीनस्थ/राजस्व सिविल न्यायालय के पेन्डिंग केश रजिस्टर के अनुसार खसरा सख्या 67/2 ग्राम बासनी बाधेला से संबंधित कोई वाद लंबित नहीं है।

प्राधिकरण के पत्र कमांक 248 दिनांक 06.01.2023 के द्वारा प्राप्त प्रस्ताव प्राधिकरण की वेबसाईट पर आमजन की टिप्पणी/आपत्ति प्राप्त करने हेतु न्यूनतम 15 दिवस के लिए अपलोड किया जा चुका है। जिसमें आज दिनांक तक कोई आपत्ति प्राधिकरण कार्यालय को प्राप्त नहीं हुई है।

अतः प्रकरण सुशान्त लोक कॉलोनी में जी.एस.एस. प्रयोजनार्थ आरक्षित 1195 वर्गमीटर भूमि 33/11 के.वी. सब स्टेशन प्रयोजनार्थ सशुल्क/निःशुल्क भूमि आवंटन हेतु प्राधिकरण की भूमि एवं संपति निस्तारण समिति की बैठक के समक्ष उचित निर्णयार्थ पेश है।

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श उपरान्त सर्व सम्मति से उपरोक्त प्रस्तावनुसार सुशान्त लोक कॉलोनी में जी.एस.एस. हेतु आरक्षित भूमि में से 33/11 के.वी. सब स्टेशन प्रयोजनार्थ 1195 वर्गमीटर भूमि सशुल्क आवंटन करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 2 :: प्राधिकरण की विवेक विहार योजना के सेक्टर सी में कार्यालय उपखण्ड अधिकारी (दक्षिण) एवं तहसील कार्यालय (कुड़ी भगतासनी) प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन के संबंध में।

उपखण्ड अधिकारी, जोधपुर (दक्षिण) द्वारा आवंटन नीति–2015 के प्रावधानों के अनुरूप 'प्रपत्र–स' में आवेदन पेश कर प्राधिकरण की विवेक विहार योजना के सेक्टर–सी में कार्यालय उपखण्ड अधिकारी (दक्षिण) एवं तहसील कार्यालय (कुड़ी भगतासनी) प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन की मांग की गई है।

प्राधिकरण की जोन राजस्व टीम के सुयंक्त मौका निरीक्षण अनुसार कार्यालय उपखण्ड अधिकारी एवं तहसील कार्यालय प्रयोजनार्थ विवेक विहार योजना के सेक्टर–सी में ओसीएफ प्रयोजनार्थ आरक्षित भूमि में से भूमि आवंटन का चयन किया गया है।

आयोजना शाखा की रिपोर्ट अनुसार प्रकरण में आवेदित/प्रस्तावित स्थल के क्रम में नगरीय विकास विभाग आदेश दिनांक 19.07.2018 अनुसार प्राधिकरण की अनुमोदित योजना जिनमें सुविधा क्षेत्र हेतु आरक्षित भूमि का उपयोग निर्धारित नहीं एवं योजना की भूमि मौके पर खाली/अविकसित/अर्द्धविकसित है, में सुविधा क्षेत्र हेतु आरक्षित भूमि का अंतिम उपयोग सक्षम अधिकारी/ले–आउट प्लान समिति द्वारा उक्त क्षेत्र की आवश्यकताओं के अनुरूप निर्धारित किया जाने का उल्लेख है। जिसके संबंध में प्राधिकरण की ले–आउट प्लान समिति की बैठक दिनांक 20.12.2022 के प्रस्ताव संख्या 15 में विवेक विहार योजना के सेक्टर–सी में ओसीएफ प्रयोजनार्थ ब्लॉक के अंतिम उपयोग हेतु जोन से प्राप्त प्रस्ताव व मानचित्र अनुसार राजकीय कार्यालय एवं पुलिस स्टेशन प्रयोजनार्थ योजना के पार्ट योजना प्लान का अनुमोदन किये जाने का निर्णय लिया गया।

विधि शाखा के उच्च/अधीनस्थ/राजस्व सिविल न्यायालय के पेन्डिंग केश रजिस्टर के अनुसार विवेक विहार योजना के सेक्टर–सी से संबंधित कोई वाद लंबित नहीं है।

प्राधिकरण के पत्र क्रमांक 1345 दिनांक 18.05.2021 के द्वारा प्राप्त प्रस्ताव प्राधिकरण की वेबसाईट पर आमजन की टिप्पणी/आपत्ति प्राप्त करने हेतु न्यूनतम 15 दिवस के लिए अपलोड किया जा चुका है। जिसके संबंध में आज दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है।

उक्त प्रकरण प्राधिकरण की भूमि एवं संपत्ति निस्तारण समिति की बैठक दिनांक 16.01.2023 के प्रस्ताव संख्या 06 में पूर्व में कार्यकारी समिति की बैठक दिनांक 16 जून 2022 के प्रस्ताव संख्या 02 के निर्णय को निरस्त करते हुये विवेक विहार योजना में सेक्टर–सी में ओसीएफ में 5000 वर्गमीटर (भूखण्ड–डी) आवंटित करने का निर्णय लिया जाकर प्रकरण स्वीकृति हेतु राज्य सरकार को प्रेषित किये जाने का निर्णय लिया गया।

परन्तु संयुक्त शासन सचिव–प्रथम नगरीय विकास विभाग राजस्थान सरकार के आदेश क्रमांक प.3(55) नविवि/3/2002 पार्ट जयपुर दिनांक 05 जुलाई 2021 के द्वारा उपखण्ड स्तरीय कार्यालय प्रयोजनार्थ 5,000 वर्गमीटर तक निःशुल्क भूमि आवंटन की शक्तियां स्थानीय निकायो को प्रत्यायोजित की गई है।

अतः प्रकरण विवेक विहार योजना के सेक्टर–सी में ओसीएफ प्रयोजनार्थ आरक्षित भूमि में से कार्यालय उपखण्ड अधिकारी (दक्षिण) एवं तहसील कार्यालय (कुड़ी भगतासनी) प्रयोजनार्थ 5,000 वर्गमीटर निःशुल्क भूमि आवंटन के पूर्व में भूमि एवं संपत्ति निस्तारण समिति की बैठक में लिये गये निर्णय के संदर्भ में पुनः प्राधिकरण की भूमि एवं संपत्ति निस्तारण समिति की बैठक के समक्ष उचित निर्णयार्थ पेश है।

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श उपरान्त सर्व सम्मति से उपरोक्त प्रस्तावनुसार सुयक्त शासन सचिव–प्रथम , नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार के आदेश क्रमांक प.3(55) नविवि/3/2002 पार्ट जयपुर दिनांक 05 जुलाई 2021 के क्रम में प्राधिकरण की विवेक विहार योजना के सेक्टर –सी में ओसीएफ प्रयोजनार्थ आरक्षित भूमि में से कार्यालय उपखण्ड अधिकारी (दक्षिण) एवं तहसील कार्यालय (कुडी भगतासनी) प्रयोजनार्थ 5,000 वर्गमीटर निःशुल्क भूमि आवंटन करने के निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 3 :: ग्राम खारडा रणधीर के खसरा संख्या 103 रकबा 74.05 बीघा किस्म गै.मु. गोचर में से सहायक पुलिस आयुक्त बनाड के कार्यालय व आवासीय क्वार्टर प्रयोजनार्थ 1000 वर्गमीटर निःशुल्क भूमि आवंटन के संबंध में।

पुलिस उपायुक्त, जोधपुर–पूर्व द्वारा आवंटन नीति–2015 के प्रावधानों के अनुरूप 'प्रपत्र–स' में आवेदन पेश कर ग्राम खारडा रणधीर के खसरा संख्या 103 में सहायक पुलिस आयुक्त बनाड के कार्यालय व आवासीय क्वार्टर प्रयोजनार्थ 1000 वर्गमीटर भूमि आवंटन की मांग की गई है।

प्राधिकरण की जोन राजस्व टीम के सुयंक्त मौका निरीक्षण अनुसार ग्राम खारडा रणधीर के खसरा संख्या 103 रकबा 74.05 बीघा किस्म गै.मु. गोचर भूमि मौके पर खाली है एवं जोधपुर विकास प्राधिकरण जोधपुर के नाम दर्ज है।

आयोजना शाखा की रिपोर्ट अनुसार उक्त भूमि का भू–उपयोग आवासीय प्रयोजनार्थ आरक्षित हैं। डीसीआर अनुसार पुलिस चौकी व आवासीय क्वार्टर का पृथक से उल्लेख नहीं है किन्तु गर्वमेन्ट/पब्लिक यूटिलिटिज व आवसीय भूखण्डों को 40 फीट व अधिक सड़क मार्गाधिकार पर अनुज्ञेय दर्शाया गया है।

विधि शाखा के उच्च/अधीनस्थ/राजस्व सिविल न्यायालय के पेन्डिंग केश रजिस्टर के अनुसार ग्राम खारडा रणधीर खसरा संख्या 103 से संबंधित कोई वाद लंबित नहीं है।

प्राधिकरण के पत्र दिनांक 10.01.2023 के द्वारा प्राप्त प्रस्ताव प्राधिकरण की वेबसाईट पर आमजन की टिप्पणी/आपत्ति प्राप्त करने हेतु न्यूनतम 15 दिवस के लिए अपलोड किया जा चुका है। जिसमें आज दिनांक तक कोई आपत्ति प्राधिकरण कार्यालय को प्राप्त नहीं हुई है।

अतः प्रकरण ग्राम खारडा रणधीर के खसरा सख्या 103 में सहायक पुलिस आयुक्त बनाड के कार्यालय व आवासीय क्वार्टर प्रयोजनार्थ 1000 वर्गमीटर निःशुल्क भूमि आवंटन हेतु प्राधिकरण की भूमि एवं संपति निस्तारण समिति की बैठक के समक्ष उचित निर्णयार्थ पेश है।

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श उपरान्त सर्व सम्मति से उपरोक्त प्रस्तावनुसार ग्राम खारडा रणधीर के खसरा संख्या 103 रकबा 74.05 बीघा किस्म गै.मु. गोचर में से सहायक पुलिस आयुक्त बनाड के कार्यालय व आवासीय क्वार्टर प्रयोजनार्थ 1000 वर्गमीटर निःशुल्क भूमि आवंटन करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 4 :: ग्राम खारडा रणधीर के खसरा संख्या 103 रकबा 74.05 बीघा किस्म गै.मु. गोचर में से पुलिस चौकी कार्यालय व आवासीय क्वार्टर प्रयोजनार्थ 500 वर्गमीटर निःशुल्क भूमि आवंटन के संबंध में।

पुलिस उपायुक्त, जोधपुर–पूर्व द्वारा आवंटन नीति–2015 के प्रावधानों के अनुरूप 'प्रपत्र–स' में आवेदन पेश कर ग्राम खारडा रणधीर के खसरा संख्या 103 में पुलिस चौकी कार्यालय एवं आवासीय क्वार्टर प्रयोजनार्थ 500 वर्गमीटर भूमि आवंटन की मांग की गई है।

प्राधिकरण की जोन राजस्व टीम के सुयंक्त मौका निरीक्षण अनुसार ग्राम खारडा रणधीर के खसरा संख्या 103 रकबा 74.05 बीघा किस्म गै.मु. गोचर भूमि मौके पर खाली है एवं जोधपुर विकास प्राधिकरण जोधपुर के नाम दर्ज है।

आयोजना शाखा की रिपोर्ट अनुसार उक्त भूमि का भू–उपयोग आवासीय प्रयोजनार्थ आरक्षित है। डीसीआर अनुसार पुलिस चौकी व आवासीय क्वार्टर का पृथक से उल्लेख नहीं है किन्तु गर्वमेन्ट/पब्लिक यूटिलिटिज व आवसीय भूखण्डों को 40 फीट व अधिक सड़क मार्गाधिकार पर अनुज्ञेय दर्शाया गया है।

विधि शाखा के उच्च/अधीनस्थ/राजस्व सिविल न्यायालय के पेन्डिंग केश रजिस्टर के अनुसार ग्राम खारडा रणधीर खसरा संख्या 103 से संबंधित कोई वाद लंबित नहीं है।

प्राधिकरण के पत्र दिनांक 10.01.2023 के द्वारा प्राप्त प्रस्ताव प्राधिकरण की वेबसाईट पर आमजन की टिप्पणी/आपत्ति प्राप्त करने हेतु न्यूनतम 15 दिवस के लिए अपलोड किया जा चुका है। जिसमें आज दिनांक तक कोई आपत्ति प्राधिकरण कार्यालय को प्राप्त नहीं हुई है। ण

संयुक्त शासन सचिव–प्रथम नगरीय विकास विभाग राजस्थान सरकार के आदेश क्रमांक प. 3(55) नविवि/3/2002 पार्ट जयपुर दिनांक 05 जुलाई 2021 के द्वारा पुलिस चौकी प्रयोजनार्थ 500 वर्गमीटर तक निःशुल्क भूमि आवंटन की शक्तियां स्थानीय निकायो को प्रत्यायोजित की गई है।

अतः प्रकरण ग्राम खारडा रणधीर के खसरा सख्या 103 में पुलिस चौकी प्रयोजनार्थ 500 वर्गमीटर निःशुल्क भूमि आवंटन हेतु प्राधिकरण की भूमि एवं संपति निस्तारण समिति की बैठक के समक्ष उचित निर्णयार्थ पेश है।

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श उपरान्त सर्व सम्मति से उपरोक्त प्रस्तावनुसार ग्राम खारडा रणधीर के खसरा संख्या 103 रकबा 74.05 बीघा किस्म गै.मु. गोचर में से पुलिस चौकी कार्यालय व आवासीय क्वार्टर प्रयोजनार्थ 500 वर्गमीटर निःशुल्क भूमि आवंटन करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 5 :: **राजस्व ग्राम सांगरिया के खसरा संख्या 179 रकबा 14.05 बीघा किस्म गै. मु. आबादी में से 1 बीघा भूमि 33/11 के.वी. सब–स्टेशन के निर्माण हेतु निःशुल्क भूमि आवंटन बाबत्।**

क.स.	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में घोषणा	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में अभिशंषा/प्रस्ताव
1.	पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज/टिप्पणियों के अनुसार कोई तथ्य छुपाया नही गया है।	ग्राम सांगरिया के खसरा संख्या 179 रकबा 14.05 बीघा किस्म गै.मु. आबादी में से 1 बीघा भूमि 33/11 के.वी. सब–स्टेशन के निर्माण हेतु निःशुल्क भूमि आवंटन की अभिशंषा की गई है।

अधिशाषी अभियंता (बी–जोन) जोधपुर विधुत वितरण निगम लि. जोधपुर द्वारा भूमि आवंटन नीति 2015 के अन्तर्गत प्रपत्र–स प्रस्तुत कर राजस्व ग्राम सांगरिया के खसरा संख्या 179 रकबा 14.05 बीघा किस्म गै.मु. आबादी में से 1 बीघा भूमि 33/11 के.वी. सब–स्टेशन के निर्माण हेतु निःशुल्क भूमि आवंटन की मांग की गई। प्रकरण में प्राधिकरण के पटवारी से स्वामित्व एवं मौका जॉच करवाई गई, जॉच में पाया कि ग्राम सांगरिया के खसरा संख्या 179 रकबा 14.05 बीघा किस्म गै.मु. आबादी भूमि राजस्व रैकर्ड में प्राधिकरण के नाम दर्ज हैं। मौके पर भूमि रिक्त हैं। प्राधिकरण की विधि शाखा रिपोर्ट अनुसार ग्राम सांगरिया के खसरा संख्या 179 में कोई वाद विवाद लम्बित नहीं हैं। भूमि आवंटन की नीति 2015 के प्रावधान अनुसार आम जन की टिप्पणी/आपत्ति हेतु प्राधिकरण की वेब साईट पर

सूचना अपलोड़ की गई। प्रकरण में भूमि आवंटन के संबंध में कोई टिप्पणी/आपत्ति प्राप्त नहीं हुई। आयोजना शाखा की रिपोर्ट अनुसार जोनल प्लान में भूमि का भू-उपयोग आंशिक आवासीय व मिश्रीत हेतु आरक्षित हैं। मास्टर प्लान 2031 की आवासीय एवं मिश्रीत डी.सी.आर. अनुसार Govt. & Public utilihes all allowed on all road after approval from competent authority.

प्रकरण राजस्व ग्राम सांगरिया के खसरा संख्या 179 रकबा 14.05 बीघा किस्म गै.मु. आबादी में से 1 बीघा भूमि 33/11 के.वी. सब-स्टेशन के निर्माण हेतु निःशुल्क भूमि आवंटन हेतु प्राधिकरण की भूमि निस्तारण समिति समक्ष निर्णायार्थ प्रस्तुत हैं।

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श उपरान्त सर्व सम्मति से उपरोक्त प्रस्तावनुसार राजस्व ग्राम सांगरिया के खसरा संख्या 179 रकबा 14.05 बीघा किस्म गै.मु. आबादी में से 1 बीघा भूमि 33/11 के.वी. सब-स्टेशन के निर्माण हेतु सशुल्क आवंटन करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 6 :: **राजस्व ग्राम तनावड़ा तहसील लूणी के खसरा संख्या 183, 184, 185, 186, 189 व 218 एवं राजसव ग्राम सालावास रेल्वे स्टेशन के खसरा संख्या 674 में प्राधिकरण स्वामित्व की 18.6559 है. भूमि इनलेण्ड कन्टेनर डिपों (आई.सी.डी.) के विस्तारीकरण प्रयोजनार्थ राजस्थान लघु उद्योग निगम लि. (राजसिको) को भूमि आवंटन के संबधं में।**

क.स.	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में घोषणा	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबधं में अभिशंषा/प्रस्ताव
1.	पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज/टिप्पणियों के अनुसार कोई तथ्य छुपाया नही गया है।	राजस्व ग्राम तनावड़ा तहसील लूणी के खसरा संख्या 183, 184, 185, 186, 189 व 218 एवं राजसव ग्राम सालावास रेल्वे स्टेशन के खसरा संख्या 674 में प्राधिकरण स्वामित्व की 18. 6559 है. भूमि इनलेण्ड कन्टेनर डिपों (आई.सी. डी.) के विस्तारीकरण प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन की अभिशंषा की गई है।

प्रबन्ध निदेशक राजस्थान लघु उद्योग निगम लि. (राजसिको) जयपुर के पत्रांक राजसिको/ईआईएस/2021-2022/9107 दिनांक 02.11.2022 द्वारा जोधपुर में अतिरिक्त इनलेण्ड ड्राइपोर्ट की स्थापना हेतु भूमि आवंटन के लिये निर्धारित प्रपत्र-स प्रस्तुत कर राजस्व ग्राम तनावड़ा तहसील लूणी के खसरा संख्या 183, 184, 185, 186, 189 एवं राजस्व ग्राम सालावास रेल्वे स्टेशन के खसरा संख्या 674 में प्राधिकरण स्वामित्व की 19.352 है. भूमि इनलेण्ड कन्टेनर डिपों (आई.सी.डी.) के विस्तारीकरण प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन की मांग की गई है।

जोन राजस्व टीम की मौका जांच कर निरीक्षण रिपोर्ट अनुसार राजस्व ग्राम तनावड़ा तहसील लूणी के खसरा संख्या 183, 184, 185, 186, 189 एवं राजस्व ग्राम सालावास रेल्वे स्टेशन के खसरा संख्या 674 में प्राधिकरण स्वामित्व की 19.352 है. किस्म गै.मु. गोचर भूमि राजस्व रेकर्ड में जोधपुर विकास प्राधिकरण जोधपुर के नाम दर्ज है। मौके पर आवंटन हेतु प्रस्तावित भूमि खाली है।

आयोजना शाखा की रिपोर्ट अनुसार राजस्व ग्राम तनावड़ा तहसील लूणी के खसरा संख्या 183, 184, 185, 186, 189 एवं राजसव ग्राम सालावास रेल्वे स्टेशन के खसरा संख्या 674 मे वेयर हाउस बनाये जाने हेतु जोन चिन्हिकरण किया जाना प्रस्तावित है, वर्तमान में मास्टर डवलपमेन्ट प्लान-2031 एवं जोनल डवलपमेन्ट प्लान में उक्त प्रश्नगत क्षेत्र का भू-उपयोग आवासीय प्रयोजनार्थ आरक्षित है। मास्टर प्लान की आवासीय डीसीआर अनुसार अज्वलनशील गोदाम को 24 मीटर (80 फीट) व अधिक सड़क मार्गाधिकार पर अनुज्ञेय किया गया है। राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 10.08.2020 के अनुसार

वेयर हाउसिंग/गोदाम उपयोग को मास्टर प्लान के प्रतिबंधित भू-उपयोग को छोड़कर अन्य सभी उपयोगों में अनुज्ञेय किया गया है व समस्त नगर निकायों द्वारा उक्तानुसार प्रभावी मास्टर प्लान में वेयरहाउसिंग/गोदाम हेतु जोन का चिन्हिकरण किया जाना आवश्यक है। जिसके संबंध में आयोजना शाखा द्वारा प्राधिकरण कार्यकारी समिति की बैठक दिनांक 26.04.2022 के प्रस्ताव सख्या 38 में उक्त प्रकरण के संबंध में नियमानुसार प्रस्ताव को स्वीकृत/अनुमोदन करने की अभिशंषा के साथ आगामी प्राधिकरण बैठक में रखे जाने का निर्णय लिया गया। तत्पश्चात प्राधिकरण बैठक दिनांक 18.05.2022 के प्रस्ताव संख्या 07 के अनुसार राजस्व ग्राम तनावड़ा तहसील लूणी के खसरा संख्या 183, 184, 185, 186, 189 एवं राजस्व ग्राम सालावास रेल्वे स्टेशन के खसरा संख्या 674 में वेयर हाउसिंग/गोदाम हेतु जोन चिन्हिकरण को स्वीकृत/अनुमोदित करने का निर्णय लिया गया।

विधि शाखा के उच्च/अधीनस्थ/राजस्व सिविल न्यायालय के पेन्डिंग केश रजिस्टर के अनुसार राजस्व ग्राम तनावड़ा तहसील लूणी के खसरा संख्या 183, 184, 185, 186, 189 एवं राजस्व ग्राम सालावास रेल्वे स्टेशन के खसरा संख्या 674 की भूमि से संबंधित कोई वाद लंबित नहीं है।

हस्तगत प्रकरण मे प्रसंगानुसार राजस्व ग्राम तनावड़ा तहसील लूणी के चिन्हित खसरा संख्या 183, 189, व 218 के स्थान पर रेल्वे लाईन के निकट राजस्व ग्राम तनावड़ा के खसरा संख्या 183 रकबा 5.9974 है. किस्म गै.मु. गोचर, खसरा सख्या 184 रकबा 0.2671 है. किस्म चाही-पंचम, खसरा संख्या 185 रकबा 0.0405 किस्म गै.मु. बेरा, खसरा संख्या 186 रकबा 1.4164 हे. किस्म चाही-पंचम, खसरा संख्या 189 रकबा 10.5380 है. किस्म गै.मु. गोचर, एवं ग्राम सालावास रेल्वे स्टेशन खसरा संख्या 674 रकबा 1.0926 है. किस्म बारानी-द्वितीय कुल 19.352 है. को आवंटित करने हेतु लिखा गया हैं।

अतः पूर्व में जोन चिन्हिकरण की कार्यवाही को संशोधित करते हुये पुनः उक्तानुसार खसरा संख्या 183, 184, 185, 186, 189 ग्राम तनावडा एवं खसरा संख्या 674 ग्राम सालावास रेल्वे स्टेशन के जोन चिन्हिकरण की कार्यवाही की प्रत्याशा में एवं जोधपुर विकास प्राधिकरण जोधपुर की कार्यकारी समिति की बैठक में अनुमोदन की प्रत्याशा में राज्य सरकार के समक्ष राजस्व ग्राम तनावडा तहसील लूणी के खसरा संख्या 183 रकबा 5.9974 है. किस्म गै.मु. गोचर, खसरा संख्या 184 रकबा 0.2471 है. किस्म चाही-पंचम, खसरा संख्या 185 रकबा 0.0405 है. किस्म गै.मु. बेरा, खसरा सख्यां 186 रकबा 1. 4164 है. किस्म चाही-पंचम, खसरा संख्या 189 रकबा 10.5380 है. किस्म गै.मु. गोचर व ग्राम सालावास रेल्वे स्टेशन खसरा संख्या 674 रकबा 1.0926 है. किस्म बारानी द्वितीय में राजस्थान लघु उद्योग निगम लिमिटेड को आईसीडी जोधपुर के विस्तारीकरण हेतु रकबा 19.352 है. सशुल्क भूमि आवंटन की स्वीकृति हेतु प्रकरण पत्र क्रमांक- 1514 दिनांक 12.10.2022 के जरिये प्राधिकरण की कार्यकारी समिति की बैठक में अनुमोदन की प्रत्याशा में राज्य सरकार को आवंटन की सक्षम स्वीकृती हेतु प्रेषित किया गया।

राज्य सरकार से पत्र दिनांक 30.11.2022 को आरक्षित दर की 50 प्रतिशत राशि पर भूमि आवंटन की स्वीकृति प्राप्त हुई। आवंटन की स्वीकृति के पश्चात प्रबन्ध निदेशक राजस्थान लघु उद्योग निगम लि. (राजसिको) जयपुर को पत्रांक 1578 दिनांक 05.12.2022 को आवंटन राशि चालीस करोड बहत्तर लाख एक सौ चालीस रूपय प्राधिकरण कोष में जमा करवाने हेतु मांग पत्र जारी किया गया। प्रबन्ध निदेशक राजसिकों जयपुर द्वारा पत्रांक राजसिको/ईआईएस/2022-2023/10372 दिनांक 14. 12.2022 को प्रेषित कर खसरा संख्या 183 की पूर्व में आवंटित लगभग 5.9974 हैक्टेयर भूमि में से नदी की सीमा से लगती हुई लगभग 13000 वर्गमीटर भूमि को कम करते हुए इसके स्थान पर खसरा संख्या 205, 206 व 218 जिसका कुल क्षेत्रफल 7750 वर्गमीटर है, आईसीडी के उपयोग के लिए उपयुक्त प्रतीत होती हैं। पूर्व पत्र दिनांक 05.12.2022 के आवंटन में आंशिक संशोधन करते हुए खसरा संख्या 183 में कुल भूमि में से नदी क्षेत्र में आ रही 13000 वर्गमीटर क्षेत्रफल को कम करते हुए खसरा संख्या 205, 206 व 218 के कुल क्षेत्रफल मे से 7750 वर्गमीटर अतिरिक्त भूमि को आवंटन में शामिल करते हुए संशोधित आवंटन पत्र जारी कराने की मांग की गई। प्राधिकरण द्वारा प्रकरण में कार्यकारी समिति की प्रत्याक्षा में संशोधित स्वीकृति हेतु पत्रांक 1605 दिनांक 03.01.2023 को लिखा गया। राज्य सरकार से पत्र दिनांक 23.01.2023 को आरक्षित दर की 50 प्रतिशत राशि पर भूमि आवंटन की संशोधित स्वीकृति प्राप्त हुई। प्रकरण में प्रबन्ध निदेशक (राजसिको) जयपुर को आवंटन राशि जमा करवाने हेतु

प्राधिकरण द्वारा क्रमांक– एफ–46 / आवंटन(जोन–3) / 2023 / 8950 दिनांक 25 / 01 / 2023 को मांग पत्र जारी किया गया। प्रकरण प्राधिकरण की भूमि निस्तारण समिति के समक्ष भूमि आवंटन एवं जोन चिन्हीकरण की कार्यवाही हेतु उचित निर्णायार्थ पेश हैं।

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श उपरान्त सर्व सम्मति से उपरोक्त प्रस्ताव का अनुमोदन करते हुए राज्य सरकार से प्राप्त निर्देशानुसार प्रकरण आगामी कार्यकारी समिति में विचारार्थ / निर्णयार्थ प्रस्तुत करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 7 :: ग्राम चौखा के खसरा संख्या 45 के अल्पसंख्यको के कॉमन सर्विस सेन्टर एवंम बालक बालिका आवासिय विद्यालय हेतु भूमि आवंटन के संबंध में

क.स.	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में घोशणा	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संवधं में अभिषंशा / प्रस्ताव
1.	पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज / टिप्पणियों के अनुसार कोई तथ्य छुपाया नही गया है।	ग्राम चौखा के खसरा संख्या 45 के अल्पसंख्या के कॉमन सर्विस सेन्टर एवंम बालक बालिका आवासिय विद्यालय हेतु भूमि आवंटन की अभिषंशा की गई है।

जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी अल्पसंख्यक मामला विभाग जोधपुर द्वारा आवंटन नीति–2015 के प्रावधानों के अनुरूप 'प्रपत्र–स' में आवेदन पेश कर ग्राम चौखा के खसरा संख्या 45 किस्म गै.मु.पहाड में अल्पसंख्यको के कॉमन सर्विस सेन्टर एवंम बालक बालिका आवासिय विद्यालय प्रयोजनार्थ 16 बीघा भूमि आवंटन की मांग की गई है।

पटवारी की रिपोर्ट अनुसार अल्पसंख्यको की कॉमन सर्विस सेन्टर एंव बाबलक बालिका आवासीय विद्यालय हेतू ग्राम चौखा के खसरा संख्या 45 में आवंटन चाहा गया है राजस्व रेकर्ड अनुसार ग्राम चौखा के खसरा संख्या 45 रकबा 806 बीघा किस्म गै.मु.पहाड जो जोधपुर विकास प्राधिकरण की स्वामित्व की भूमि है में मौके पर भूमि उपलब्ध है।

आयोजना शाखा की रिपोर्ट अनुसार भूमि का भू–उपयोग मे मास्टर डवलपमेन्ट प्लान अनुसार यू 2 प्रयोजनार्थ आरक्षित है।उक्त भूमि पर शैक्षणिक संस्थान एंव योगा / धर्मिक / सामाजिक / स्वास्थ्य अनुज्ञेय है।

विधि शाखा की रिपोर्ट अनुसार ग्राम चौखा के खसरा संख्या 45 से संबंधित कोई वाद लंबित नहीं है।

अवाप्ति शाखा की रिपोर्ट अनुसार ग्राम चौखा के खसरा संख्या 45 कुल रकबा 16 बीघा भूमि की पत्रावली अवाप्ति शाखा में विचाराधीन नही है।

उजर एतराज हेतु प्राधिकरण की वेबसाईट पर दिनांक 14 / 12 / 2022 को अपलोड किया गया। अपलोड समयावधि मे कोई,आपत्ति प्राप्त नहीं हुई।

राजस्थान सरकार नगरीय विकास विभाग कमांक :– प.3(55) नविवि / 3 / 2002 पार्ट जयपुर, दिनांक 05 जुलाई 2021 के आदेश अनुसार अन्य उपखण्ड स्तरीय एवं जिला स्तरीय कार्यालय हेतु भूमि आवंटन हेतु 5000 वर्गमीटर भूमि आवंटन की जा सकती हैं।

अतः ग्राम चौखा खसरा संख्या 45 में अल्पसंख्यको के कॉमन सर्विस सेन्टर एवंम बालक बालिका आवासीय विद्यालय हेतु 5000 वर्गमीटर भूमि आवंटन एवं अतिरिक्त भूमि आवंटन हेतु प्रकरण राज्य

सरकार को प्रेषित करने हेतु प्रकरण प्राधिकरण की भूमि एवं सम्पति निस्तारण समिति के समक्ष उचित निर्णयार्थ पेश है।

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श उपरान्त सर्व सम्मति से उपरोक्त प्रस्तावानुसार 5000 वर्गमीटर भूमि बालक आवासीय विद्यालय मय छात्रावास, 5000 वर्गमीटर भूमि बालिका आवासीय विद्यालय मय छात्रावास एंव 1000 वर्गमीटर भूमि कॉमन सर्विस सेन्टर हेतु निःशुल्क आवंटन करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 8 :: राजीव गॉधी नगर आवासीय योजना सेक्टर सी में मिरासी एवं भिस्ती समाज हेतु पालनहार (हाफ–वे–होम) हेतु भूमि आवंटन के संबंध में

क.स.	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में घोशणा	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबधं में अभिषंशा/प्रस्ताव
1.	पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज/टिप्पणियों के अनुसार कोई तथ्य छुपाया नही गया है।	राजीव गॉधी नगर आवासीय योजना सेक्टर सी में मिरासी एवं भिस्ती समाज हेतु पालनहार (हाफ–वे–होम) हेतु भूमि आवंटन की अभिषंशा की गई है।

उपनिदेशक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा आवंटन नीति–2015 के प्रावधानों के अनुरूप 'प्रपत्र–स' में आवेदन पेश कर राजीव गॉधी नगर आवासीय योजना सेक्टर सी में में मिरासी एवं भिस्ती समाज हेतु पालनहार (हाफ–वे–होम) प्रयोजनार्थ 01 बीघा भूमि आवंटन की मांग की गई हैं।

कनिष्ठ अभियंता की रिपोर्ट अनुसार राजीव गॉधी नगर योजना चौखा मै सेक्टर बी एवं सेक्टर सी में क्रमश **Rescrved land एवं informal area** दिखाया गया है मौका खाली है।

आयोजना शाखा की रिपोर्ट अनुसार राजीव गॉधी नगर योजना में भूमि **Rescrved land** में छात्रावास निर्माण हेतु भूमि आवंटित की जा सकती है।

विधि शाखा की रिपोर्ट अनुसार राजीव गॉधी नगर योजना के खसरा संख्या 61–72 से संबंधित वाद लंबित है।

अवाप्ति शाखा की रिपोर्ट अनुसार ग्राम चौखा के खसरा संख्या 61–72 राजीव गॉधी नगर योजना के सेक्टर बी एवं सी में रिक्त भूखण्डों की पत्रावली अवाप्ति शाखा में विचाराधीन नही है।

उजर एतराज हेतु प्राधिकरण की वेबसाईट पर दिनांक 27/01/2023 को अपलोड किया गया। अपलोड समयावधि मे कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई।

अतः प्रकरण में 1000 वर्ग मीटर भूमि मिरासी एवं भिस्ती समाज हेतु पालनहार (हाफ–वे–होम) वास्ते तथा शेष भूमि आवंटन हेतु राज्य सरकार को प्रेषित किये जाने हेतु प्रकरण प्राधिकरण की भूमि एवं सम्पति निस्तारण समिति बैठक में विचारार्थ एंव निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श उपरान्त सर्व सम्मति से उपरोक्त प्रस्तावानुसार राजीव गॉधी नगर आवासीय योजना सेक्टर सी में मिरासी एवं भिस्ती समाज हेतु पालनहार (हाफ–वे–होम) हेतु 1000 वर्गमीटर भूमि आवंटन करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 9 :: **राजीव गॉधी नगर योजना के सेक्टर बी में विद्युत सब स्टेशन बनवाने हेतु भूमि आवंटन बाबत।**

क्र.स.	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में घोशणा	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबध में अभिषंशा/प्रस्ताव
1.	पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज/टिप्पणियों के अनुसार कोई तथ्य छुपाया नही गया है।	राजीव गॉधी नगर योजना के सेक्टर बी में विद्युत सब स्टेशन बनवाने हेतु भूमि आवंटन की अभिषंशा की गई है।

सहायक अभियंता विद्युत वितरण निगम लिमिटेड मण्डोर जोधपुर द्वारा आवंटन नीति–2015 के प्रावधानों के अनुरूप 'प्रपत्र–स' में आवेदन पेश कर राजीव गॉधी नगर आवासीय योजना सेक्टर बी में विद्युत सब स्टेशन बनवाने प्रयोजनार्थ 01 बीघा भूमि आवंटन की मांग की गई है।

कनिष्ठ अभियंता की रिपोर्ट अनुसार जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड द्वारा आवंटित भूमि सेक्टर बी के सामने 60 मीटर **Wide Road** पहाडी के पास 1 बीघा जमीन प्रस्तावित है मौका पर 1 बीघा जमीन समतल है एवं कोई अतिकमण नहीं पाया गया मौका **informal sector** के बाद दिये जाने हेतु **informal area (20370sqm)** को छोडकर 1 बीघा दिया जाना प्रस्तावित है अतैव **informal area** की दुरी = L कितनी है एवं 1 बीघा का **AREA** का भी सलंग्न कर **SITE PLAN** बनाया जाना है ताकि मौके पर **DEMACATION** किया जा सके।

आयोजना शाखा की रिपोर्ट अनुसार भूमि मास्टर प्लान डवलपमेन्ट अनुसार हिली एवंम रोकी भू उपयोग के अन्तर्गत आरक्षित है कनिष्ठ अभियन्ता कि टिप्पणी के अनुसार उक्त भूमि मौके पर समतल हैं अतः विधुत सब स्टेशन हेतु आवंटित कि जा सकती है।

विधि शाखा की रिपोर्ट अनुसार राजीव गॉधी नगर योजना के खसरा संख्या 61–72 से संबंधित वाद लंबित है।

अवाप्ति शाखा की रिपोर्ट अनुसार ग्राम चौखा के खसरा संख्या 61–72 कुल रकबा 1 बीघा भूमि की पत्रावली अवाप्ति शाखा में विचाराधीन नही है।

उजर एतराज हेतु प्राधिकरण की वेबसाईट पर दिनांक 13/01/2023 को अपलोड किया गया। अपलोड समयावधि मे कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई।

अतः प्रकरण में 01 बीघा भूमि विद्युत सब स्टेशन बनवाने हेतु प्रकरण प्राधिकरण की भूमि एवं सम्पति निस्तारण समिति बैठक में विचारार्थ एंव निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय

बैठक में वाद विचार विमर्श उपरान्त सर्व सम्मति से उपरोक्त प्रस्तावानुसार राजीव गॉधी नगर योजना के सेक्टर बी में विद्युत सब स्टेशन निर्माण हेतु 01 बीघा भूमि सशुल्क आवंटन करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 10 :: **राजीव गॉधी नगर योजना के सेक्टर ए में विद्युत सब स्टेशन बनवाने हेतु भूमि आवंटन बाबत।**

क्र. स.	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में घोशणा	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबध में अभिषंशा/प्रस्ताव
1.	पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज/टिप्पणियों के अनुसार कोई तथ्य छुपाया नही गया है।	राजीव गॉधी नगर योजना के सेक्टर ए में विद्युत सब स्टेशन बनवाने हेतु भूमि आवंटन की अभिषंशा की गई है।

सहायक अभियंता विद्युत वितरण निगम लिमिटेड मण्डोर जोधपुर द्वारा आवंटन नीति–2015 के प्रावधानों के अनुरूप 'प्रपत्र–स' में आवेदन पेश कर राजीव गॉधी नगर आवासीय योजना सेक्टर ए ग्राम चौखा के खसरा सख्या 61–72 में विद्युत सब स्टेशन बनवाने प्रयोजनार्थ 01 बीघा भूमि आवंटन की मांग की गई है।

कनिष्ठ अभियंता की रिपोर्ट अनुसार जोधपुर विकास प्राधिकरण द्वारा आवंटित भूखण्ड सेक्टर ए में अनुमोदित मान चित्र अनुसार दिया गया है सेक्टर ए में मुटाम अनुसार विद्युत सब स्टेशन हेतु भूमि निम्नानुसार उपलब्ध है एवं कोई अतिक्रमण नहीं है।

आयोजना शाखा की रिपोर्ट अनुसार राजीव गॉधी नगर योजना पर उल्लेखित भूमि विद्युत सब स्टेशन हेतु आरक्षित है जिसे जी एस एस हेतु आवंटन की जा सकती है।

विधि शाखा की रिपोर्ट अनुसार राजीव गॉधी नगर योजना के खसरा संख्या 61–72 से संबंधित वाद लंबित है।

अवाप्ति शाखा की रिपोर्ट अनुसार ग्राम चौखा के खसरा संख्या 61–72 कुल रकबा 1 बीघा भूमि की पत्रावली अवाप्ति शाखा में विचाराधीन नही है।

उजर एतराज हेतु प्राधिकरण की वेबसाईट पर दिनांक 13/01/2023 को अपलोड किया गया। अपलोड समयावधि मे कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई।

अतः प्रकरण में 01 बीघा भूमि राजीव गॉधी नगर योजना सेक्टर ए में विद्युत सब स्टेशन बनवाने हेतु प्रकरण प्राधिकरण की भूमि एवं सम्पति निस्तारण समिति बैठक में विचारार्थ एंव निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श उपरान्त सर्व सम्मति से उपरोक्त प्रस्तावानुसार राजीव गॉधी नगर योजना के सेक्टर ए में विद्युत सब स्टेशन निर्माण हेतु 1 बीघा भूमि सशुल्क आवंटन करने का निर्णय लिया गया।

(जय नारायण मीणा) 13/2/23
सचिव

क्रमांक /बैठक/2023/ 2030-35
दिनांकः– 17 फरवरी, 2023

प्रतिलिपि निम्नलिखित को बैठक में बतौर सदस्य उपस्थित होने हेतुः–

1 निजी सचिव, अध्यक्ष/ आयुक्त महोदय ,जोधपुर विकास प्राधिकरण , जोधपुर
2 निजी सचिव, सचिव महोदय , जोधपुर विकास प्राधिकरण , जोधपुर
3 निदेशक, अभियांत्रिकी/आयोजना/विधि, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर।
4 उपायुक्त–जोन 1/2/3/4/5/6, उप सचिव/प्रभारी अधिकारी (भूमि)/प्रभारी अधिकारी ,जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर।
5 सहायक जनसम्पर्क अधिकारी, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर।
6 ....

(जय नारायण मीणा)
सचिव

परिशिष्ट –1

श्री नवनीत कुमार, आयुक्त, जोधपुर विकास , प्राधिकरण , जोधपुर की अध्यक्षता में दिनांक 16 फरवरी 2023 को सांय 04:00 बजे आयोजित भूमि निस्तारण समिति की बैठक में उपस्थित अधिकारियों का विवरण

01. श्री नवनीत कुमार, आयुक्त , जोधपुर विकास प्राधिकरण , जोधपुर ।
02. श्री जय नारायण मीणा, सचिव, जोधपुर विकास प्राधिकरण , जोधपुर।
03. श्री श्रवण सिंह राजावत, उपायुक्त जोन–4, जोधपुर विकास प्राधिकरण , जोधपुर।
04. श्री रवीन्द्र कुमार उपायुक्त जोन–3, जोधपुर विकास प्राधिकरण , जोधपुर।
05. श्री मनोज सोंलकी उपायुक्त जोन– 2, जोधपुर विकास प्राधिकरण , जोधपुर।
06. श्री प्रकाश चन्द अग्रवाल, उप सचिव एंव भूमि अवाप्ति अधिकारी , जोधपुर विकास प्राधिकरण , जोधपुर।
07. श्री जगदीश प्रसाद, निदेशक – विधि , जोधपुर विकास प्राधिकरण , जोधपुर।
08. श्री सुभाष चन्द शर्मा, निदेशक – आयोजना, जोधपुर विकास प्राधिकरण , जोधपुर।
09. श्री महेन्द्र सिंह पवांर, निदेशक – अभियान्त्रिकी, जोधपुर विकास प्राधिकरण , जोधपुर।